रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO D (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 226] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 13, 1987/कार्तिक 22, 1909
No. 226] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 13, 1987/KARTIKA 22, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वस्त्र मंत्रालय

(वस्त्र आयुक्त का कार्यालय)

बम्बई, 10 नवम्बर, 1987

अधिसूचना

सं. सीईआर/(16)-87/सीएलबी:—वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, 1986 के खण्ड 17 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अधिसूचना सं. सी ई आर/(14)/87-सी एल बी, दिनांक 11 अगस्त, 1987 के अधिलंघन में, मैं एतद्द्वारा अधिसूचित करता हूं कि वस्त्र आयुक्त की अधिसूचना सं. सी ई आर/(14)/87-सी एल बी, दिनांक 16-6-1987,

जो वस्त्र (उपभोक्ता संरक्षण) विनियमन, 1987 कहा जाता है के खण्ड-एक का उप खण्ड (तीन) निम्नोक्त से प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"यह इस संबंध में अधिसूचित की गई तारीख 15 फरवरी, 1988 से प्रवृत्त होगा"।

अरूण कुमार, वस्त्र आयुक्त

MINISTRY OF TEXTILES

(Office of the Textile Commissioner)

Bombay, the 10th November, 1987

NOTIFICATION

No. CER|(16)|87-CLB.—In exercise of powers conferred on me under Clause 17 of the Textiles (Control) Order, 1986, and in supersession of the Notification No. CER|(14)|87-CLB dated 11th August, 1987, I hereby notify that Sub-Clause (3) of Clause 1 of the Textile Commissioner's Notification No. CER|(14)|87-CLB dated 16-6-1987 called the Textiles (Consumer Protection) Regulation, 1987 shall be replaced by the following :—

"It shall come into force from the 15th February, 1988".

ARUN KUMAR, Textile Commissioner

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987